साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 05-11 दिसंबर , 2022, वर्ष-8, अंक-34 | भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित | पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में की घोषणाएं

» किसानों के लिए लगेंगे राजस्व और विद्युत समस्या निराकरण शिविर

» राज्य सरकार करेगी डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति

किसान की सहमति के बिना नहीं ली जाएगी जमीन

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में उन किसानों के नाम भी जोड़े जाएंगे जो पात्र होते हुए भी किसी वजह से नाम नहीं जुड़वा सके। किसानों की राजस्व और विद्युत देयक संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। राज्य सरकार डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में अनेक घोषणाएं की। किसानों द्वारा मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री भोपाल के मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय के मैदान से किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति मेरा प्रेम और श्रद्धा का भाव है। किसानों की जो भी जायज समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रारंभ में किसानों के संगठन द्वारा मुख्यमंत्री को सुझाव-पत्र दिया गया।

दस हजार मिल रही सम्मान निधि

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अनेक किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। यदि सूची में पात्र किसानों के नाम दर्ज नहीं हो सके हैं, तो उन्हें दर्ज कर 10 हजार रुपए वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि में 6 हजार और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के 4 हजार मिला कर प्रति हितग्राही सालाना मिलने वाली 10 हजार की राशि से लाभान्वित हो रहे हैं। इस लाभ से वंचित लोगों के नाम प्राथमिकता से जोड़े जाएंगे।

आवश्यक पट्टे प्रदान करेंगे

मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें नहरों की मरम्मत, मंडियों में किसानों के हित में अत्याधुनिक उपकरण स्थापित करने, बड़े तौल कांटे लगाने, राजस्व भूमि पर वर्षों से कृषि कार्य करते आ रहे किसानों के लिए पात्रतानुसार आवश्यक पट्टे प्रदान करने, विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार द्वारा किसान की जमीन लिए जाने के फलस्वरूप नामांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की घोषणाएं शामिल हैं। प्रारंभ में मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मंच पर भारतीय किसान संघ मध्यप्रदेश के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रमुख घोषणाएं

» किसान की सहमति से ही उसकी भूमिका का अधिग्रहण होगा।

» डिफाल्टर कृषक की कर्ज माफी का ब्याज सरकार भरेगी।

» गन्ना किसानों का बकाया, मिल मालिकों से वापस कराएंगे।

» जले ट्रांसफार्मर शीघ्र से शीघ्र बदलवाने का कार्य होगा।

» किसान पम्प योजना की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

-विश्व का सबसे बड़ा सोलर पॉवर प्लांट मुरैना में होगा स्थापित

बिजली में आत्मनिर्भर होगा चंबल अंचल

अवधेश डंडोतिया, मुरैना। जागत गांव हमार

प्रस्तावित परियोजना की लागत पांच हजार 600 करोड़ रुपए से बढ़कर 10 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगी। 1400 मेगावाट के सोलर पॉवर प्लांट के लिए जमीन आवंटन सहित अन्य कवायद तीन साल पहले से चल रही है। कोरोना काल में प्रक्रिया बेपटरी हो गई थी। कोरोना गाइड लाइन से उबरने के बाद इस पर कवायद तेज की गई। दो हजार 800 हैक्टेयर भूमि की इसमें दरकार थी, लेकिन 3500 हैक्टेयर जमीन आवंटन की कवायद की जा रही थी। सितंबर 2022 तक तीन हजार 232 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हो चुका है। गौरतलब है कि अभी मप्र में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पॉवर प्लांट नीमच और रीवा के गढ़ में स्थापित है। रीवा के प्लांट से बिजली दिल्ली को भी बेची जा रही है। जमीन आवंटन की प्रक्रिया वर्ष 22019 में तत्कालीन कलेक्टर भरत यादव के समय तेजी से शुरू की गई थी। उसके बाद आई कलेक्टर प्रियंका दास ने भी रुचि दिखाई और इस परियोजना के लिए 3174 हेक्टेयर भूमि आरक्षित कर दी गई, लेकिन कोरोना काल में सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक गतिविधियां बंद हो जाने से इसमें विलंब हुआ। तत्कालीन कलेक्टर बी कार्तिकेयन के समय में जमीन आवंटन का काम तेज हुआ। यदि पुराने प्रस्ताव पर ही काम होता तो अब तक भूमि पूजन हो जाता।

चंबल अंचल में नहीं खलेगी बिजली की कमी

सोलर पावर प्लांट स्थापित हो जाने के बाद चंबल संभाग ऊर्जा के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हो जाएगा, बल्कि निर्यात भी कर सकेगा। मुरैना जिले में 350 मेगावाट बिजली की खपत होती है। भिंड और श्योपुर में भी लगभग 500 मेगावाट बिजली की खपत है। अब इसकी क्षमता करीब 1100 मेगावाट और बढ़ाई जा रही है। ऐसे में ग्वालियर तक की आवश्यकता पूरी की जा सकती है।

नए साल में होगा भूमिपूजन

जनवरी के अंत या फरवरी में सोलर पावर प्लांट का भूमिपूजन कराया जा सकता है। ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिर्राज डंडोतिया भी इस बात से आश्वस्त हैं कि बढ़ी हुई क्षमता के अनुसार आवश्यक जमीन आवंटन की प्रक्रिया एक-दो माह में पूरी हो जाएगी। इसके बाद समारोह पूर्वक भूमिपूजन कराया जाएगा। यह जिले की पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा निवेश वाली परियोजना होगी।

सोलर पावर प्लांट के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, जो रह गई वह भी एक-दो माह में पूरी हो जाएगी। जनवरी के अंत तक इसका भूमिपूजन कराने की तैयारी है। यह विश्व की सबसे बड़ी सोलर पावर परियोजना होगी।

गिर्राज डंडोतिया, अध्यक्ष, ऊर्जा विकास निगम, मप्र

जोधुपर के भड़ली में 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। मुरैना का 2500 मेगावाट का स्थापित करने की प्लानिंग है। इसके स्थापित होने से बिजली की समस्या समाप्त हो जाएगी।

गिरजेश नारायण शुक्ला, जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी

सोलर पावर प्लांट के सस्ती बिजली कोयला और पानी के सहारे संचालित संयंत्रों पर आधारित बिजली उपभोक्ताओं को बहुत महंगी मिलती है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट आठ रुपए भुगतान करना पड़ रहा है। सौर ऊर्जा की औसत लागत दो से तीन रुपए प्रति यूनिट होती है।

मोहित शर्मा, पूर्व सुपरवाइजर, बिजली कंपनी

पिछले वर्ष से चार लाख हेक्टेयर अधिक

नमी के कारण अच्छे उत्पादन की संभावना

मध्यप्रदेश में 94 लाख हेक्टेयर में हुई बोवनी

भोपाल। जागत गांव हमार

चालू रबी सीजन में फसलों की बोवनी ने रफ्तार पकड़ ली है। इस वर्ष राज्य में गेहूं का रकबा कम कर दलहनी और तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लक्ष्य बढ़ाया गया है। प्रदेश में खरीफ फसलों की कटाई में देरी की वजह से रबी की रफ्तार धीमी थी, अब तेज हो गई है। गत वर्ष की तुलना में लगभग 4 लाख हेक्टेयर अधिक हो गई है। इस वर्ष पर्याप्त नमी के कारण बेहतर उत्पादन की संभावना है। 25 नवंबर तक मप्र में 94.34 लाख हेक्टेयर में बोवनी हुई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 68 फीसदी है। गत वर्ष इस अवधि में 91.77 लाख हेक्टेयर में बोवनी हुई थी।

कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 124 लाख 77 हजार हेक्टेयर है। इस वर्ष 139.06 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 94.34 लाख हेक्टेयर में बोवनी कर ली गई है। इसमें राज्य की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बोवनी 54.73 लाख हेक्टेयर में हुई है। जबकि गत वर्ष अब तक 52.81 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। दूसरी

रबी फसलों की बोवनी

25 नवंबर 2022 तक (लाख हे. में)

फसल	लक्ष्य	बोवनी
गेहूं	89.03	54.73
जौ	0.52	0.33
चना	24.47	17.13
मटर	2.8	1.98
मसूर	6.49	5.62
सरसों	13.07	13.18
अलसी	1.27	0.95
गन्ना	1.4	0.43

स्रोत-कृषि विभाग, मप्र

प्रमुख फसल चने की बोवनी अब तक 17.13 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो गत वर्ष समान अवधि में 20.02 लाख हेक्टेयर में हुई थी। अन्य फसलों में अब तक मटर 1.98 लाख हेक्टेयर में, मसूर 5.62 लाख हेक्टेयर में बोई गई है।

राज्य की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बोवनी 13.18 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि इस वर्ष 13.07 लाख हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है। वहीं गत वर्ष अब तक सरसों 10.34 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी। राज्य में सरसों की बोनी लक्ष्य को पार कर गई है। अलसी की बोवनी 95 हजार हेक्टेयर में हुई है।

-ग्राम सभा-उपखंड वनाधिकार समिति की अनुशंसा को मिली मंजूरी

मंडला की 3 ग्राम पंचायत के बैगा समुदाय को मिले हेबीटेट राईट्स

-ग्राम सभा-उपखंड वनाधिकार समिति की अनुशंसा को मिली मंजूरी

भोपाल। जागत गांव हमार

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों को हेबीटेट राईटस दिए जा रहे हैं। मंडला जिले की जनपद पंचायत बिछिया की तीन ग्राम पंचायत कन्हारीकला, चंगरिया और मेढाताल के बैगा समुदाय के हेबीटेट राईटस (प्राकृतिक पर्यावास के अधिकार) के दावे ग्राम पंचायत एवं उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति की अनुशंसा के बाद जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गई है। तीनों पंचायत में बैगा समुदाय के लोगों के लिए जननांकीय निर्धारक, आर्थिक/जीवन उर्पाजन के लिये प्रयोजन, सांस्कृतिक/धार्मिक, औषधि एवं कंदमूल आदि के लिए सीमा का विस्तार और खसरा निर्धारित किया गया है। इन ग्राम पंचायतों के 541 बैगा परिवारों को 664 हेक्टेयर वनभूमि एवं 435 हेक्टेयर राजस्व भूमि (बड़े-छोटे झाड़) के जंगल में, इस प्रकार कुल 1099 हेक्टेयर भूमि में हेबीटेट राईटस प्रदान किए जाने की मान्यता दी गई है।

औषधियों तक पहुंचने स्थानों का चयन- जिला समिति द्वारा स्वीकृत क्षेत्रों में ग्राम पंचायत कन्हारीकला, चंगरिया और मेढाताल के बैगा समुदाय के लोग अनुषांगिक प्रयोजनों के लिए सांस्कृतिक मान्यताओं के स्थलों, संसाधनों तक आने-जाने के उपयोग, वन/राजस्व वन क्षेत्रों से प्राप्त काष्ठ, लघु-वनोपज, गैर कृषि खाद्य, चारागाह, औषधि, जलाऊ लकड़ी का संग्रहण तथा संसाधनों तक पहुंच के लिए आवागमन, परम्परागत तरीके से ग्राम की सीमाओं के अंदर नदी, नालों में मछली पकड़ने, सांस्कृतिक-धार्मिक प्रयोजन के स्थलों तक पहुंच एवं उपयोग, आजीविका के लिए खाद्य आदि संग्रहण एवं संसाधनों तक पहुंच के लिए आवागमन और बैगा परम्पराओं के अनुसार विभिन्न बीमारियों/प्राकृतिक प्रकोप के उपचार के लिए उनके औषधिक ज्ञान अनुसार औषधियों तक पहुंचने एवं संग्रहण के लिए स्थलों का चिन्हाकंन किया गया है।

समित को भेजा प्रस्ताव

हेबीटेट राईट्स के प्रस्ताव / दावा पर पहले ग्राम सभा एवं उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा कार्रवाई पूर्ण की गई। प्रस्ताव दावा निराकरण के लिए अनुशंसा सहित जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को भेजा गया। प्रस्ताव पर जिला स्तरीय समिति द्वारा विस्तृत समीक्षा एवं चर्चा की गई। इसमें संबंधित ग्राम पंचायतों के बैगा समुदाय एवं उपस्थित जन-प्रतिनिधियों के समक्ष दावे से संबंधित सभी जानकारियां पढ़ कर सुनाई गई।

परंपराओं का होगा निर्वहन

मंडला जिले में इसके पूर्व मवई जनपद के अमवार में हेबीटेट राईट प्रदान किए जा चुके हैं। शासन की मंशा के अनुसार जल, जंगल एवं जमीन का वास्तविक अधिकार बैगा समुदाय को दिया जा रहा है। हेबीटेट राईटस मिल जाने से बैगा समुदाय वनों में अपनी प्राचीन परम्पराओं का निर्वाह पहले की तरह निश्चिंत होकर कर सकेंगे।

सत्यापन के बाद मंजूरी

बैगा समुदाय के लोगों द्वारा सभी तथ्यों पर सहमति व्यक्त कर तैयार किए गए नजरी नक्शे का भी समिति के समक्ष परीक्षण कर मानचित्र पर स्थल सत्यापन किया गया। समिति के सभी उपस्थित सदस्यों, उपखण्ड स्तरीय समिति के प्रतिनिधि एवं बैगा समुदाय की सहमति के बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार हेबीटेट राईट्स के दावे को सर्व सम्मति से मान्य करने की स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री ने गौ-संवर्धन बोर्ड की बैठक में दिया निर्देश

पूर्ण हो रही गो-शालाओं में गौ-वंश रखने का कार्य तेजी से कराया जाए

गौ अभयारण्य की स्थापना भी किया गया मंथन

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूर्ण हो रही गो-शालाओं को तेजी से गो-वंश से भरा जाए। शेष गो-वंश रखने के लिए भी समाधान ढूंड़ लिया जाए। प्रदेश में ऐसे बड़े स्थान चिन्हित करें जहां अधिक संख्या में गौ-वंश को रखा जा सके। मुख्यमंत्री निवास पर गौ-संवर्धन बोर्ड की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गायों को सड़क एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खुले में नहीं रख सकते हैं। इसलिए गौ-शालाओं का निर्माण तेजी से करें। उन्होंने कहा कि गौबर धन योजना में गो-शालाओं में गोबर गैस संयंत्र लगाए जाएंगे। इससे गौ-शालाएं स्वावलंबी बनेंगी। अधिकारी रोड मेप बना कर कार्य करें। गो-वंश के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था करें।

एनजीओ से लेंगे सहयोग

बैठक में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गौ अभयारण्य की स्थापना पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ-अभयारण्य की स्थापना के लिए एनजीओ का सहयोग लिया जाएगा। एनजीओ के माध्यम से गो-शालाओं का संचालन भी किया जाएगा। जहां बड़ी मात्रा में दान राशि आती है, ऐसे मंदिरों के सहयोग से गौशालाओं को राशि दी जाए।

दिया जाएगा पुरस्कार

मुख्यमंत्री ने आचार्य विद्यासागर जीवदया (गो-सेवा) सम्मान योजना के पुरस्कार वितरण पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के पुरस्कार वितरण के लिए तिथि एवं समय निर्धारित कर लिया जाए। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

छात्र-छात्राओं को साइकिल की वितरित

परिवहन मंत्री राजपूत बोले, गांव का विकास ही देश का विकास

भोपाल। जागत गांव हमार

राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि गांव का विकास देश के विकास की पहली सीढ़ी है। मंत्री सागर के ग्राम बरोदिया-बल्लभ, लुहर्रा, बमूरा, बसियाभौती एवं ननऊ गांव में विकास कार्यों का भूमि-पूजन कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण भी किया। राजपूत ने गांव में पंचायत भवन, तालाब निर्माण, स्कूल भवन की मरम्मत एवं मंगल भवन के निर्माण जैसे अनेक कार्यों का भूमि-पूजन भी किया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी वर्गों को सम्मान और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जैसी अनेक जन-हितैषी योजनाएं बनाई हैं। आज पक्की सड़कें, स्कूल भवन, अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं गांव-गांव में उपलब्ध हैं। सरकार ने छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराई है। हर गांव में घर-घर पानी पहुंचाने का काम लगभग अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाया जाए।

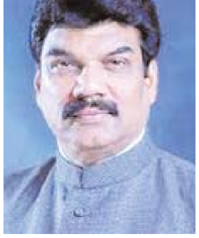

पारंपरिक खेती छोड़ गोभी उगाई, इंदौर, कोटा तक सप्लाई

आठ बीघा में चार लाख का मुनाफा

गुना। जागत गांव हमार

सर्दियों के सीजन में सबसे ज्यादा कोई सब्जी मार्केट में दिखाई देती है तो वो है फूल गोभी, लेकिन एक किसान ऐसा भी है जो गोभी के अलावा किसी और की खेती नहीं करता। सालभर वो गोभी के भरोसे रहता है और गोभी भी उसका भरोसा नहीं तोड़ती। यही कारण है कि यह किसान आज गोभी की बदौलत मालामाल हो चुका है। एक समय था, जब यह किसानी पारंपरिक खेती करता था। फिर इसने गोभी लगाना शुरू किया और नतीजा सामने हैं। वहीं भटोदिया गांव गुना जिला मुख्यालय से 15 किमी दूर बसा है। यहां की आबादी करीब 600 है। गांव के एक-दो घर छोड़ दें तो सभी घर कच्चे थे। भटोदिया के किसान 2014 से पहले पारंपरिक खेती करते थे। गेहूं, सोयाबीन, चना आदि फसलें ही उगाते थे। लागत और आमदनी के बीच का अंतर लगातार कम हो रहा था। ऐसे में गांव के किसान विकल्प की तलाश कर रहे थे। 2014 में यहां के रहने वाले बनवारी लोधा ने पारंपरिक खेती छोड़ने का मन बनाया। यहां से बदलाव की शुरुआत हो गई। आज गांव में 90 प्रतिशत घर पक्के बन चुके हैं। **'जागत गांव हमार'** के इस अंक में पढ़िए राघोगढ़ के किसान मनीष चौधरी की स्मार्ट खेती का किस्सा।

पहले होती थी पारंपरिक खेती

दरअसल, पारंपरिक खेती में लागत ज्यादा मुनाफा कम था मनीष के दादाजी पारंपरिक खेती करते थे। उनके खेतों में अनार, अमरूद, देसी नारियल तक के पेड़ थे। वर्षों से उनका परिवार पारंपरिक खेती ही करता चला आ रहा था। परेशानी यह थी कि परंपरागत खेती में लागत बढ़ती जा रही थी और मुनाफा कम होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में ऐसे विकल्प की तलाश थी, जिसमें लागत कम आए और मुनाफा भी अधिक हो।

लागत 22 हजार मुनाफा 70 हजार

मनीष ने बताया कि भाव जैसा मिलता है, उस हिसाब से ही मुनाफा होता है। पिछले दो वर्षों से 8 बीघा में लगभग 4 लाख का मुनाफा ले रहे हैं। आमतौर पर गोभी की कीमत 18 से 20 रुपए प्रति किलो होती है। अगर ऑफ सीजन हो तो 13 से 15 रुपए किलो भाव मिल जाता है। डिमांड ज्यादा रही तो 25 रुपए किलो तक का भाव आसानी से मिल जाता है। एक बीघा में 20 से 22 हजार रुपए की लागत आती है। बीज, हकाई-जुताई, सिंचाई, मजदूरी मिलाकर 20 से 22 हजार रुपए खर्च होते हैं। दाम अच्छे मिले, तो एक बीघा से मुनाफा 60 से 70 हजार रुपए तक होता है।

राजस्थान तक जाती है गोभी

गुना के राघोगढ़ की गोभी प्रदेश के कई जिलों के अलावा राजस्थान तक भेजी जाती है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर के अलावा राजस्थान के कोटा, छबड़ा तक गोभी की सप्लाई होती है। मनीष बताते हैं कि इससे और लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। निंदाई करने के लिए मजदूरों की जरूरत होती है। फिर फसल की कटाई में भी मजदूर लगते हैं। ऐसे में उन्हें भी रोजगार मिलता है। इसके अलावा कटाई के दौरान जो पत्ते निकलते हैं, उन्हें मवेशी बड़े चाव से खाते हैं। आसपास के लोग उनके खेत पर आकर ये पत्ते ले जाते हैं।

पारंपरिक खेती में घाटा हुआ तो शुरू की सब्जियों की खेती

75 किसान उगा रहे सब्जियां, सब मालामाल

भटोदिया गांव गुना जिला मुख्यालय से 15 किमी दूर बसा है। यहां के बनवारी लोधा ने छोटे भाई नवजीवन लोधा को शिवपुरी के किसान के पास सब्जी की खेती की ट्रेनिंग लेने भेजा। दो से तीन महीने की ट्रेनिंग के बाद नवजीवन गांव लौटे। बड़े भाई बनवारी लोधा के साथ मिलकर 3 बीघा जमीन में सब्जी उगा दी। पहली ही बार में अच्छा मुनाफा हुआ तो बाकी जमीन में भी सब्जियां उगाने लगे। गांव में 90 परिवार हैं। सब्जी से अच्छी आमदनी होती देख करीब 75 किसान परिवार सब्जियों की खेती करने लगे हैं। वर्तमान में प्रदेश के कई जिलों में इसी गांव की सब्जियां पहुंचती हैं। पारंपरिक खेती को छोड़ गांव के सभी किसान अब सब्जियां ही उगा रहे हैं। केवल खाने के लिए गेहूं की खेती की जाती है, बाकी जमीन पर अब सब्जियों की पैदावार की जा रही है। आज यह गांव रोजाना डेढ़ से दो लाख की सब्जी मंडी में भेजता है।

बनवारी लोधा से पूरी कहानी...| 2014 में मेरे छोटे भाई रामजीवन लोधा ने शिवपुरी के एक किसान के यहां जाकर सब्जियां उगाने की ट्रेनिंग ली। वहां से लौटकर गिलकी और करेले की बोवनी की। 3 बीघा में लगभग 80 हजार रुपए की लागत आई। 80 से 90 दिन में फसल तैयार हो गई। उपज बेचने पर 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। यहीं से सब्जियां उगाने के सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी जारी है। पिछले वर्ष ढाई बीघा खेत में टिंडे लगाए। खेत तैयार करने से लेकर बोवनी और उसके रख-रखाव में 65 हजार रुपए की लागत आई थी।

45 से 55 दिन में टिंडे तैयार

45 से 55 दिन में टिंडे तैयार हो गए। बाजार में बेचने पर 12.50 लाख रुपए की इनकम हुई। यह अब तक कि सबसे ज्यादा इनकम थी। अब हम दोनों भाई 9 बीघा में सब्जियां ही उगा रहे हैं। पौधे भी खुद ही तैयार करते हैं। करेला, खीरा, टमाटर, मिर्ची आदि सब्जियां उगा रहे हैं। आज हमारी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है। अब रोजाना की जरूरतों को आसानी से पूरा कर ले रहे हैं। साथ ही अच्छी इनकम होने से अपने शौक भी पूरे कर लेते हैं। हमारी खेती देखकर गांव के दूसरे किसान भी प्रभावित हुए और अब गांव के 90 फीसदी किसान पारंपरिक खेती छोड़ चुके हैं। बस अपने उपयोग के लिए गेहूं की खेती करते हैं। इसके अलावा सब्जियां उगाकर शहर की मंडियों में भेजते हैं। इससे सभी किसानों को मुनाफा बढ़ा है।

राजस्थान तक जा रहा करेला

गांव में रहने वाले एक अन्य किसान सुल्तान सिंह यादव कहते हैं कि रामजीवन से प्रेरणा लेकर सब्जियां उगानी शुरू की। आज वह अपने 5 बीघा खेत में करेला, गिलकी, लौकी, खीरा, बैंगन, टमाटर उगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरा खीर ग्वालियर जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के छबड़ा जिले सहित शिवपुरी, अशोकनगर और कई जिलों में इस गांव की सब्जियां पहुंचती हैं। शुरुआत में केवल बनवारी लोधा का परिवार ही सब्जियां उगाता था। उनके मुनाफे को देखते हुए, धीरे-धीरे गांव के बाकी किसान भी अपने खेतों में सब्जियां उगाने लगे हैं।

रोजाना 2 लाख रु. की सब्जी बेंच रहे

अब इस गांव से रोजाना लगभग डेढ़ से दो लाख रुपए की सब्जी मंडी में पहुंचती है। इस तरह हर महीने लगभग 50 लाख रुपए की सब्जियों की पैदावार यह गांव कर रहा है। सालाना पैदावार की बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा की सब्जियां इस गांव में उगाई जा रही हैं।

सब्जी की खेती में लागत कम

एक बीघा में सब्जी उगाने के लिए खेत तैयार करने में लगभग 25 से 30 हजार रुपए की लागत आती है। इसमें खेत तैयार करने से लेकर रखरखाव, पानी, बिजली, खाद, रासायनिक खाद शामिल होता है। बीज की कीमत अलग होती है। हर सब्जी के बीज की कीमत अलग-अलग आती है। जैसे एक बीघा में आधा किलो करेले का बीज लगता है। यह 5 हजार रुपए में आता है। इसी तरह बाकी सब्जियों के बीज की कीमत अलग होती है। कुल मिलाकर एक बीघा खेत में कुल लागत लगभग 35-40 हजार रुपए आती है। वहीं अगर पैदावार ठीक हुई और बाजार में कीमत अच्छी मिली तो 1.5 लाख तक की पैदावार होती है। सारा खर्चा काटकर एक लाख तक का शुद्ध मुनाफा होता है।

दिवारात्री ताल! जानें पशु शरीर क्रियाओं में इसका महत्व

» डॉ. पूर्णिमा सिंह
» डॉ. दीपिका डी. जेस्सी
» डॉ. संजू मण्डल
» डॉ. आदित्य मिश्रा
» डॉ. आनंद जैन
» डॉ. प्रगति पटेल
» डॉ. अनिल गट्टानी
» डॉ. महवश खान
-पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

दुनिया कि सबसे रोचक विशेषताओं में से एक, दिन और रात का चक्र है, जिसे दिवारात्रि ताल या चक्री ताल भी कहते हैं। सूर्य सर्वश्रेष्ठ प्रकाश, ताप व ऊर्जा का स्रोत है, जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संभव है। दिवारात्रि /दिवसीय (सर्कैडियन) लय 24 घंटे के चक्र का पालन करने वाले शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन हैं। दिवसीय लय परिवर्तनों का कारण प्रकाशीय अवधि के साथ तापीय परिवर्तन भी है जो कि शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर गहरा प्रभाव डालता है। पालतू अपेक्षाकृत स्थिर आंतरिक शरीर के तापमान को एक सीमा के भीतर बनाए रखते हैं।

दिवारात्रि ताल का एक मत्वपूर्ण कार्य है की यह शरीर को पर्यावरण में अपेक्षित परिवर्तनों के लिए तैयार करते हैं। इसकी अनियममित्ता से बीमारी एवं तनाव जैसे हानिकारक दुष्प्रभाव सामने आने लगते हैं। प्रकाश के संपर्क का प्रभाव विभिन्न प्रजातियों में भिन्न होता है। कुछ प्रजातियों में लम्बी प्रकाश अवधि लाभदायक होती है और अन्य में यह छोटी लाभदायक होती है।

प्रकाश के द्वारा आंखों के रेटिना में प्रकाश तंत्रिका आवेगों में परिवर्तन होता है जो मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। सर्कैडियन तंत्र के अंतर्गत, मस्तिष्क में उपस्थित मास्टर क्लॉक, और परिधीय पेसमेकर सम्मिलित है, जो यकृत, हृदय और अंडाशय जैसे अंगों में लयबद्ध प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। दरअसल, सर्कैडियन तंत्र शारीरिक समन्वय करती हैं और शरीर में जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, एक समय संदर्भ में कार्य करती हैं (जैसे सूर्य के लिए) कम्पास ओरिएंटेशन, मौसम का अनुमान, सोने और जागने का समय चक्र और पारगमन।

शरीर के तापमान में एक दैनिक लय: एक दिन के पूरे घंटों में होने वाले प्राकृतिक वातावरण में उतार चढ़ाव के संपर्क में आने वाले चौपाया पशुओं में सामान्यत: 1एष्ट से कम के तापीय बदलाव देखा गया है। खुले वातावरण में रहने वाले पशुओं के शारीरिक तापमान की दैनिक भिन्नता, छाया के नीचे की तुलना में अधिक होते है। गाय में शरीर का तापमान न्यूनतम सुबह और अधिकतम दोपहर में देखा गया है। यह पर्यावरण पर मुख्यत: निर्भर करता है, यह ठण्ड और गर्मी के मौसम के अनुसार भी परिवर्तित होता है।

खान पान की दैनिक लयबद्धता: खाने के व्यवहार से संबंधित दैनिक लयबद्धता को अल्ट्राडियन लय कहते हैं। पशुओं में ऊर्जा आपूर्ति के लिए भोजन प्रदान करने का समय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन देने के समय में नियममितता होनी चाहिए। यह विशेष रूप से शाकाहारी जंतुओं पर लागू होता है, जिनमें भोजन के लिए शिकार की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहना पड़ता एवं पाचक प्रक्रियाएं नियत चक्रीय रूप से होती हैं।

प्रजनन या मातृ व्यवहार: शरीर से निकलने वाला अन्त: स्त्रावी मेलाटोनिन नामक रासायन विशेष रूप से मौसमी प्रजनन से जुड़ा हुआ है; जिसकी मात्रा प्रकाश की उपस्थिति के अनुरूप परिवर्तित होती है, इसलिए यह समय और संबंधित शारीरिक प्रतिक्रियाओं का एक शक्तिशाली मध्यस्थ है। किसी विशेष मौसम में प्रजनन यह कई पशुओं जैसे की भेंड़, बकरी की विशेषता है। ये शरद ऋतु के दौरान प्रजनन करते हैं और इसलिए उन्हें छोटे दिनों के (शॉर्ट-डे) प्रजनक कहा जाता है। इसके विपरीत, कुछ पशु लंबे दिन (लॉन्ग-डे) प्रजनक होते है जैसे की घोड़। सूरज की रोशनी पक्षियों के प्रजनन को भी प्रभावित करती है। उनके प्रजनन अंग गर्मियों के दौरान सूर्य के प्रकाश के अधिक संपर्क में आने से सक्रिय हो जाते हैं।

उत्पादन क्षमता पर प्रभाव: भेड़ो में अन्त: स्त्राव, चयापचन, वृद्धि, मीट एवं ऊन का निर्माण, दिवसीय घड़ी से जुड़ा है। दिवसीय घड़ी, गायो में मद चक्र एवं दुग्ध उत्पादन को भी प्रभावित करता है। यह देखा गया है की गायो में छोटे दिन की प्रकाश अवधि की तुलना में 16 घंटों का प्रकाश एवं 8 घंटों का अन्धकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ने के लिए बेहतर है।

नींद जागने के चक्र पर प्रभाव: दिवसीय दैनिक लय में किसी प्रकार की भिन्नता आने से कई प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक विकार उत्पन्न हो सकते है। बाधित दिवसीय लयबद्धता के प्रतिकूल प्रभाव नींद-जागने के चक्र में गड़बड़ी से जुड़े हो सकते हैं। जो की अन्त: शरीर के अन्य क्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। यह माना गया हैं की प्राकृतिक दिवसीय लय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए भी डेयरी गायों के लिए 6-8 घंटे का अंधेरा महत्वपूर्ण है।

प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता: सूर्य के प्रकाश की तीव्रता और अवधि जानवरों के मनोविज्ञान, व्यवहार और आकारिकी को प्रभावित कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति के लिए प्रकाश की तीव्रता या संवेदनशीलता की सीमा भिन्न होती है। अधिकांश जानवरों के शरीर के आवरण उन्हें सूर्य की किरणों से बचाते हैं। लेकिन सौर विकिरण कभी-कभी इन आवरणों में प्रवेश कर सकता है और प्रोटोप्लाज्म के सक्रियण, ताप और आयनीकरण का कारण बन सकता है, जिससे ऐसे जानवरों के डीएनए में उत्परिवर्तन हो सकता है। अत्यधिक गर्मी पशुओं के कोशिकाओं पर असर डालती है, जो कि कई हानिकारक अणुओं का उत्पादन करती है जिनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं।

निष्कर्ष: दिवसीय लय पशुओं के व्यवहार और शरीर क्रिया को प्रभावित करने वाली एक समन्वय प्रणाली है। लगभग सभी प्रजातियां अपने व्यवहार और शरीर क्रिया में दैनिक परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से प्रकाश और अंधेरे के प्रति प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन यह दिन की निरंतर स्थितियों के दौरान भी बना रहता है। फोटोपेरियड (दिन की लंबाई) में परिवर्तन जानवरों के शरीर विज्ञान, व्यवहार, प्रवास का समय, हाइबरनेशन, उत्पादन और प्रजनन आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है। पशुओं में लयबद्ध पैटर्न की गहरी समझ प्रबंधन, औषधीय और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दृष्टि से उपयोगी हो सकती है। दिवसीय चक्र या लय पशुओं के वृद्धि, उत्पादन, प्रजनन एवं चयापचन क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सूअर, भेड़, गाय आदि पशुधन के स्वस्थ्य एवं उत्पादन गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के नए अन्वेषणों का एक अनूठा मार्ग हो सकता है।

आदिवासियों के लिए वरदान है झूम खेती, पूरी तरह प्राकृतिक

पहले कृषि यानी खेती-बाड़ी कई अलग-अलग तरीकों व पद्धतियों को अपनाकर की जाती थी। उनमें से आज भी कई ऐसी पद्धतियां हैं जिसे किसानों द्वारा कृषि में अपनाया जाता है। इन्हीं में से एक झूम कृषि भी है। झूम कृषि पुरानी कृषि का एक प्रकार है। जब मानव आदिम अवस्था में था, उसकी आबादी उतनी नहीं थी और प्रकृति पर इतना ज्यादा भार नहीं था तब खेती के इस तरीके को अपनाया जाता था। इसमें जंगल के छोटे-छोटे जगह को हटा कर या जलाकर उपजाऊ भूमि बनाया जाता है, जंगल जलाने से मिट्टी में पोटाश जुड़ जाता है, जो बदले में मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्व को बढ़ाता है। फिर इसी खाली जगह पर खेती की जाती है जब तक मिट्टी की उर्वरता रहती है।

खेती के इस तरीके में जंगलों के वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर, जलाकर खेत व क्यारियां बनाई जाती हैं और साफ की गई भूमि को पुराने कृषि उपकरणों (हाथ के औजारों) की सहायता से जुताई करके फसल व बीज बोई जाती है। ये फसलें पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होती हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे फसलों से उत्पादन बेहद कम होता है। इस भूमि को 2-3 साल बाद जब जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तब इसे छोड़ दिया जाता है, इसके बाद ऐसी भूमि पर फिर से धीरे-धीरे घास और अवांछित वनस्पतियां उग जाती हैं और फिर से जंगल बन जाता है।

इसके पश्चात् किसान फिर से जंगल के किसी दूसरे स्थान को साफ करके उसपर भी कुछ सालों तक खेती करते हैं और फिर कुछ सालों बाद भूमि से उर्वरता जाने पर छोड़ देते हैं। इसलिए इस प्रकार की खेती को स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। इसमें थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर खेत बदलते रहते हैं।

कहां होती है झूम कृषि: झूम खेती को लेकर बहस और चर्चा हमेशा से होती आई है। लेकिन फिर भी देश के कई कोनों में आज भी झूम खेती की जाती है। अभी भी उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सो में छोटे पैमाने पर की जाती है।

इसके साथ ही मेघालय,नागालैंड,अरूणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तरी राज्यों व आंशिक रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र में की जाती है। यहां के आदिवासी समूहों में आज भी झूम खेती प्रचलित है। भारत के अलावा स्थानांतरण कृषि को श्रीलंका में चेना, हिन्देसिया में लदांग और रोडेशिया में मिल्पा के नाम से जानते हैं।

अलग जगह, अलग नाम: फसल स्थानांतरण से इस तरीके को असम में झूम खेती, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोडू, मध्य प्रदेश में बेवर और केरल में पोनम के नाम से जाना जाता है। इस खेती को अल्पीकरण भी कहा जाता है। चूंकि झूम खेती में जगलों में आग लगाकर खेत बनाई जाती है इसलिए इस खेती की प्रक्रिया को बर्न खेती भी कहा जाता हैं।

जैसा की जानते हैं कि आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं। इसलिए इस खेती के तरीके को सबसे ज्यादा आदिवासियों द्वारा ही अपनाया जाता है। आदिवासी समुदाय के लोग जंगलों को साफ करके खेती करते है और कुछ सालों बाद उस जगह को छोड़कर वहां से दूसरी जगह चले जाते है, फिर वहां पर भी यही प्रक्रिया दोहराते हैं।

धीरे-धीरे खत्म होने के कगार पर: झूम खेती को लेकर हमेशा से दावा किया जाता रहा है कि झूम के कारण जंगलों के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का

नुकसान हुआ है। यही वजह है कि खेती के इस तरीके को निरुत्साहित कर आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जाने लगा और धीरे-धीरे अब खेती का ये तरीका खत्म होने लगा है। जैसा की आज भी देश के कई जगहों के आदिवासी समुदाय द्वारा झूम खेती की जाती है। क्योंकि आदिवासियों के लिए अपना पेट पालना एक बड़ी चुनौती है। उनके पास कृषि के लिए इतनी तकनीक और प्रशिक्षण भी नहीं है। इसलिए वो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए मजबूरन आज भी झूम खेती पर निर्भर हैं।

सतत खेती अब समय की मांग

सतत कृषि जैविक, अकाबज़निक खेती की प्रभावशीलता पर दीर्घकालिक संघर्ष को हल करने में मदद करती है। सतत कृषि वर्तमान या भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना, समाज की वर्तमान खाद्य और कपड़ा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थायी तरीके से खेती कर रही है। यह पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की समझ पर आधारित है ।

सतत कृषि क्यों महत्वपूर्ण : यह अकार्बनिक और जैविक खेती प्रथाओं पर संघषज़ को कम करता है। लंबे समय से जैविक या अकार्बनिक कृषि पद्धतियों की प्रभावशीलता पर बहस चल रही है। सतत खेती दीर्घकालिक संघर्ष को हल करने में मदद करती है। सतत कृषि लंबी अवधि में भोजन उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। यह एक संतुलित फसल पोषण दृष्टिकोण पर जोर देता है जो पोषक तत्वों की उपलब्धता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए जैविक और अकार्बनिक उर्वरकों और कुछ सूक्ष्मजीवों का उपयोग करता है। सतत कृषि विविध कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देती है जिसमें कुछ चुनिंदा मोनोकल्चर फसलों के बजाय कई फसलें शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए, लंबे पौधे जो धूप में फलते-फूलते हैं, वे छोटे पौधों के साथ सह-अस्तित्व में होते हैं जो छाया को पसंद करते हैं। इससे प्रति एकड़ भूमि में अधिक अनाज पैदा करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, कई प्रकार की खेती अधिक आनुवंशिक विविधता के कारण फसल को अधिक लचीला बनाती है, जिसका अर्थ है कि फसल में बीमारियों या कीटों के शिकार होने की संभावना कम होती है।

स्थायी खेती का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह किसानों, कृषि श्रमिकों और कृषि प्रणाली में शामिल अन्य लोगों के लिए लागत प्रभावी है। स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि हर कोई एक जीवित मजदूरी करता है और एक सुरक्षित वातावरण में काम करता है। मौसम के बदलते स्वरुप एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत खेती अब समय की मांग है। किसानों द्वारा की जा रही खेती से बेहतर उपज के साथ उच्च गुणवत्ता वाली फसलें प्राप्त हो इस पर विचार करने का समय अब आ गया है। इसी संदर्भ में कृषि विशेषज्ञों और सरकार का मानना है कि सतत कृषि प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ते मृदा प्रदूषण को और अधिक बढ़ने से रोक जा सकता है। सतत कृषि मृदा उर्वरता और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। सतत कृषि प्रक्रिया से हम यह बहुत हद तक सुनिश्चित करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी वही उत्पादन मिल सके जो आज हम प्राप्त कर रहे हैं। इनके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा समय-समय पर दिए गए सुझाव जैसे की समन्वित पोषक प्रबंधन एवं समन्वित कीट प्रबंधन के माध्यम से कृषि में आने वाले समस्याओं का निदान कम खर्च में किया जा सकता है।

सतत कृषि पद्धतियां सुनिश्चित करती हैं कि हम जिम्मेदार विकल्प चुनें जो सभी को एक सुरक्षित और रहने योग्य भविष्य का वादा करें। यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। सबसे बढ़कर, स्थायी खेती ही धरती माँ और उसके बच्चों-मानव जाति को बचाने के लिए आशा की एकमात्र किरण है।

सीएम बोले-भाषण देने नहीं पेसा एक्ट पढ़ाने आया हूं, आंगनवाड़ी- स्कूल-अस्पताल पर नजर रखेंगी ग्राम सभाएं

मध्यप्रदेश में अब गांव की चौपाल से चलेगी अब सरकार

प्रदेश में पेसा एक्ट लागू करने हो गई ग्राम सभा की शुरुआत

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पेसा एक्ट एक सामाजिक क्रांति है, इससे जनजातीय विकासखंडों में ग्राम सभाओं को अधिकार सम्पन्न बनाया जा रहा है। गत 15 नवंबर से लागू इस एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब सशक्त रूप से ग्राम सभाओं की शुरुआत हो चुकी है। ग्रामीणजन अपने अधिकारों का उपयोग कर ग्राम को आत्म-निर्भर बनाए और ग्रामीणों को आर्थिक संबल प्रदान करें। मुख्यमंत्री डिंडोरी जिले में पेसा एक्ट की जागरूकता के लिए ग्राम शहपुरा और गुरैया में ग्राम सभा में शामिल होकर ग्रामीणों से रू-ब-रू हुए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि मैं आज भाषण देने नहीं, आपको पैसा एक्ट पढ़ाने आया हूं। मध्यप्रदेश की धरती पर जनजातीय समुदाय के लिये ऐतिहासिक निर्णय लिया जाकर पेसा एक्ट लागू किया गया है। इसमें प्रत्येक जनजातीय ग्राम की अलग से ग्राम सभा होगी और उसे अधिकार सम्पन्न बनाया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि ग्राम के लोग पेसा एक्ट की भावना को समझे और उसे अपने ग्राम हित में लागू करें। हमने पेसा एक्ट लागू कर यह सुनिश्चित किया है कि अब सरकार भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी।

फायदा ही फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है, सभी का फायदा ही फायदा है। आज मैं आपको जल, जंगल और जमीन का अधिकार देने आया हूं। अब हर साल ग्राम की ग्राम सभा में पटवारी और फारेस्ट गार्ड नक्शा, खसरे की नकल, बी-1 की कापी लेकर आयेंगे और ग्रामवासियों को पढ़ कर सुनाएंगे। गड़बड़ी पाई गई तो ग्राम सभा सुधार करेगी। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

जमीन देना भी ग्राम सभा तय करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किस सरकारी कार्य, योजना के लिए जमीन देना है, यह ग्राम सभा तय करेगी। ग्राम की भूमि का बिना ग्राम सभा की अनुमति के भू-अर्जन नहीं किया जा सकेगा। किसी जनजातीय भाई की जमीन पर कोई व्यक्ति बहला-फुसला कर, शादी के माध्यम से अथवा धर्मांतरण द्वारा कब्जा नहीं कर पायेगा। गांव की गिट्टी, पत्थर, रेती आदि की खदानों की नीलामी होनी है या नहीं यह ग्राम सभा तय करेगी। खदान पहले जनजातीय सोसायटी को, फिर ग्राम की बहन को और फिर पुरुष को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी।

आमदनी पर ग्रामवासियों का हक होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के तालाबों का प्रबंधन, उनमें मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन आदि का अधिकार ग्राम सभा का होगा और प्राप्त आमदनी पर ग्रामवासियों का हक होगा। सौ एकड़ तक के सिंचाई तालाब और बांधों का प्रबंधन ग्राम सभा के पास होगा। हर्र, बहेड़ा, ऑवला, गोंद, करंज आदि वनोपज संग्रह और बेचने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। वह इनके मूल्य भी निर्धारित कर सकेगी। वनोपज की आमदनी भी ग्राम सभा के पास आयेगी। जनजातीय भाइयों को अब तेन्दूपत्ता तोड़ने और बेचने का अधिकार होगा। साथ ही आमदनी भी उनके खाते में जाएगी। आगामी 15 दिसम्बर तक ग्राम सभा तय कर ले कि वह इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण करेगी अथवा नहीं।

मस्टर रोल भी ग्राम सभा में रखा जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत में एक वर्ष में जो पैसा आता है उससे क्या किया जाए, यह ग्राम सभा तय करेगी। यदि गांव के मजदूरों को कोई दूसरे स्थान पर ले जाता है तो उसे ग्राम सभा से इसकी अनुमति लेना होगी। बाहरी व्यक्ति गांव में आता है तो उसे भी ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी। मनरेगा के कार्यों की मॉनिटरिंग ग्राम सभा करेगी। कार्य का मस्टर रोल भी ग्राम सभा में रखा जाएगा। गांव में नई दारू दुकान खुले या नहीं, इसका फैसला ग्राम सभा करेगी। कोई निजी साहूकार, ब्याज देने वाला व्यक्ति लायसेंस लेकर और सरकार द्वारा तय ब्याज दर पर ही ग्रामीणों को ऋण दे सकेगा। अवैध रूप से दिये गये ऋण शून्य हो जाएंगे।

भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान द्वारा विश्व मृदा दिवस का आयोजन

मृदा और मानव स्वास्थ्य के लिए कम्पोस्टिंग विषय पर कार्यशाला

भोपाल। जागत गांव हमार

भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल द्वारा विश्व मृदा दिवस के दौरान मृदा स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह 1 से 7 दिसंबर 2022 तक मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत दिनांक 2 दिसंबर 2022 को भारतीय मृदा संस्थान द्वारा स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत संस्थान में मृदा और मानव स्वास्थ्य के लिए कम्पोस्टिंग विषय पर कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में संस्थान के निदेशक डॉ. ए. बी. सिंह ने अतिथियों तथा किसानों का संस्थान में स्वागत करते हुए कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्य तथा महत्व पर प्रकाश डालते हुए गिरते मृदा स्वास्थ्य तथा उसके दुष्परिणामों से अवगत् कराते हुए इसे संरक्षित करने के तरीकों पर प्रकाश डाला। उन्होंने संस्थान द्वारा विकसित कम्पोस्टिंग तकनीकों के विषय में जानकारी देते हुए उन तकनीकों के किसानों द्वारा व्यापक उपयोग पर जोर दिया। कार्यक्रम में डॉ. ए. के. विश्वकर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, ने सभी किसानों, अतिथियों तथा वैज्ञानिकों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूप रेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. अशोक. के. पात्र ने किसानों को संबोधित करते हुए विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस के आयोजन का महत्व तथा सतत् खाद्यान्न उत्पादन के लिए मृदा स्वास्थ्य एंव उसे बनाये रखने में कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य का सीधा संबंध मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढानेकें लिए फसल अवशेषों के उपयोग एंव विभिन्न कम्पोस्टिंग तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता हैं। डॉ. आशा साहू, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने किसानो को सूक्ष्म जीवो के उपयोग द्वारा सर्वधित कम्पोस्टिंग तथा फसल अवशेष प्रबंधन पर जानकारी दी। डॉ. ए. बी. सिंह ने किसानो को विस्तृत में वर्मी कम्पोस्टिंग के विषय में जानकारी दी तथा इसक्के व्यवसायिक तथ्यों को बताते हुए मृदा स्वास्थ्य में फसल उत्पादन तथा किसानों की आय बढाने में योगदान की विस्तृत जानकारी दी।

रावे कार्यक्रम का समापन

बैतूल। बैतूल में ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (रावे) कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय, गजबासौदा कृषि स्नातक अंतिम वषऱ् की 26 छात्राएं 1 सत्र के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल के मागऱ्दषऱ्न में जिले के कृषकों के साथ मिलकर कृषि की विभिन्न तकनीकी गतिविधियों को कृषक प्रक्षेत्र पर सम्पन्न कर रही थी। इस कार्यक्रम का मूल उद्देष्य ग्रामीण परिवेष में कृषि की विभिन्न विधाओं को सीखना एवं कृषकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी से अवगत कराना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा कृषि स्नातक हेतु यह कोसऱ् अनिवायऱ् रूप से कराना होता है। इस कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू कृषि विष्वविद्यालय, जबलपुर के माननीय कुलपति डॉ. पी.के. मिश्रा, अधिष्ठाता कृषि संकाय डॉ. डी. खरे, संचालक विस्तार सेवायें डॉ. डी.पी. शमाऱ्, संचालक शिक्षण डॉ. अभिषेक शुक्ला, रावे समन्वयक डॉ. डी. जायसवाल, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, गंजबासौदा, अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय, छिंदवाड़ा आदि आभासी रूप से कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के आरंभ में कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. व्ही.के. वमाऱ् ने सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया एवं रावे कार्यक्रम की आवष्यकता बताते हुए रावे छात्राओं द्वारा किए गए कार्यों की संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत करते की।

रावे छात्राओं ने अपने प्रस्तुतीकरण में संपूर्ण कार्यानुभव कार्यक्रम में किए हुए कायोऱ् को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् कार्यक्रम में सम्मिलित संचालक विस्तार सेवाएं डॉ. डी.पी. शमाऱ् ने अपने उद्बोधन में रावे छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही अधिष्ठाता कृषि संकाय डॉ. डी. खरे ने रावे कार्यक्रम में वांछित सुधार कर इसे राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में आभार केन्द्र की शस्य वैज्ञानिक डॉ. मेघा दुबे द्वारा किया गया तथा वैज्ञानिक आर.डी. बारपेटे, डॉ. एस.एस. गौतम, डॉ. संजय जैन, डॉ. एम.पी. इंगले, नेपाल बारस्कर, राजू सलामे, सौरभ मकवाना आदि का इस कार्यक्रम के आयोजन में विशेष सहयोग रहा।

गेहूं की फसल के लिए समसामयिक सलाह

मंदसौर। गेहूं की फसल की जड़ों में पीले रंग का मोयला/माहों लगा हुआ है, यह कीट पौधों की जड़ों एवं तनों से रस चूसकर कमजोर कर देता है, परिणामस्वरूप पौधा पीला दिखाई देता है तथा बढ़वार रुक जाती है। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एस.एल. की 75 मि.ली. मात्रा को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। सिंचाई जल के साथ नीम तेल की 750 मि.ली. मात्रा फसल बुवाई के 21 दिनों के उपरांत बहावें या 1250 मि.ली. क्लोरपायरीफॉस 20 प्रतिशत ईसी को 10-12 किलों रेत में मिलाकर प्रति बीघा की दर से भुरकाव कर हल्की सिंचाई करें। संतरे के पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर काले रंग की मक्खी एवं उसके बच्चे रस चुसते हैं। जिसके कारण पौधा कमजोर हो जाता है एवं इस कीट के द्वारा चिपचिपा पदार्थ छोड़ा जाता है। जिस पर काली फफूंद उग जाती है।

नियंत्रण: रस चूसक कीट को नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एसएल की 175 मि.ली. मात्रा या थाईमिथोक्जाम 25 प्रतिशत डब्ल्यूजी की 166 ग्राम मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। संतरे की फसल में छिड़काव करने से पहले 500 लीटर पानी में 250 मिली चिपकों अवश्य मिलायें।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर देश में डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को मिलता है पुरस्कार

डॉ. वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है

मप्र छोड़ सभी राज्यों को मिला गाय-भैंस की देसी नस्लों के संरक्षण पर गोपाल रत्न

भोपाल। जागत गांव हमार

श्वेत क्रांति के जनक और भारत के मिल्क मैन कहे जाने वाले डॉ. वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के दिन हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसी दिन देश में डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार मप्र को छोड़ लगभग सभी राज्यों को यह सम्मान मिला है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर देशी गाय/भैंस की नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान विजेता, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/दुग्ध उत्पादक कंपनी/ डेयरी किसान उत्पादक संगठन के विजेताओं को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह-2022 के अवसर पर, डॉ. बाबू राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, जीकेवीके परिसर, बेंगलुरु, कर्नाटक में 26 नवंबर को पशुपालन और डेयरी विभाग, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में विजेताओं के बीच इन पुरस्कारों का वितरण किया गया।

स्वदेशी मवेशी/भैंस की नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान

पहला पुरस्कार - जितेंद्र सिंह, फतेहाबाद, हरियाणा
दूसरा पुरस्कार- रविशंकर शशिकांत सहस्रबुद्धे, पुणे, महाराष्ट्र
तीसरा पुरस्कार - गोयल सोनलबेन नारन, कच्छ, गुजरात

सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) पुरस्कार

पहला पुरस्कार- गोपाल राणा, बलांगीर, ओडिशा
दूसरा पुरस्कार- हरि सिंह, गंगानगर, राजस्थान
तीसरा पुरस्कार- माचेपल्ली बसवैया, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश

सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/ डेयरी किसान उत्पादक संगठन पुरस्कार

पहला पुरस्कार- मनंतवाडी क्षीरोलपादका सहकरण संगम लिमिटेड, वायनाड, केरल
दूसरा पुरस्कार- अराकेरे दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, मांड्या, कर्नाटक
तीसरा पुरस्कार- मन्नारगुडी एमपीसीएस, तिरुवरूर, तमिलनाडु

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की कब हुई थी शुरुआत

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी मवेशियों को पालने वाले किसानों, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और डेयरी सहकारी समितियों/ दुग्ध उत्पादक कंपनी/ डेयरी किसान उत्पादक संगठनों की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। पशुधन क्षेत्र वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र जीवीए का एक तिहाई हिस्सा शामिल है और इनका सीएजीआर 08 प्रतिशत से ज्यादा है। साथ ही, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन गतिविधियां लाखों लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के अलावा, विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों और महिला किसानों के लिए आय उत्पन्न करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

विदेशी गौ-जातीय नस्लें बहुत मजबूत

भारत में स्वदेशी गोजातीय नस्लें बहुत मजबूत हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आनुवंशिक क्षमता रखती हैं। स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर एक विशिष्ट अभियान की कमी होने के कारण उनकी आबादी घट रही है और उनका प्रदर्शन वर्तमान में वास्तविक क्षमता से कम है। इसलिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्वदेशी गोजातीय नस्लों को संरक्षण प्रदान करने और उनका विकास करने के उद्देश्य से दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की थी।

-दूसरे किस्मों के मुकाबले अधिक उत्पादन देने वाली किस्म

सीडलेस खीरे की खेती

भोपाल। जागत गांव हमार

पिछले कुछ वर्षों में बाजार में सीडलेस खीरे की मांग बढ़ी है, लेकिन किसानों के सामने एक ही समस्या आती थी कि बीज कहां से खरीदे, जिससे बढ़िया उत्पादन कर सकें। ऐसे में किसान आईसीएआर-आईएआरआई द्वारा विकसित सीडलेस खीरे की खेती कर सकते हैं। आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हर हफ्ते किसानों के लिए पूसा लेकर आता है, जिसमें किसानों को नई जानकारी देने के साथ ही उनकी कई समस्याओं का हल किया जाता है। इस हफ्ते किसानों को सीडलेस खीरे की खेती की जानकारी दी जा रही है। आईएआरआई के शाकीय विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉ. एसएसए डे खीरे की खेती की के बारे में बताते हैं कि जैसे लोग जानते हैं कि पॉली हाउस में खीरे की खेती करते हैं तो उसमें कुछ खास प्रजातियां लगाई जाती हैं, इस तरह की प्रजातियों को हम पार्थेनोकार्पिक कुकुंबर या फ्रेंच कुकुंबर और कभी-कभी चाइनीज कुकुंबर कहते हैं। वो कहते हैं कि ये खीरे की दूसरी प्रजातियों से अलग होता है, इसमें एक तो बीज नहीं होते हैं, दूसरा इसकी हर एक गांठ में एक-एक फ्रूट लगते हैं और कभी-कभी एक गांठ में एक से अधिक फल लगते हैं, इसलिए इस प्रजाति के खीरे में ज्यादा उत्पादन मिलता है।

पूसा ने पार्थेनोकार्पिक खीरे की कुछ नई किस्में विकसित की हैं। डॉ. डे कहते हैं कि पूसा पार्थेनोकार्पिक खीरा-6, ये किस्म किसानों के बीच काफी प्रचलित है। अगर आपके पास कोई प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, जैसे पॉली हाउस या नेट हाउस है तो साल में तीन बार इसकी खेती सकती है। हरियाणा के पानीपत जिले के जलवाड़ा गांव के प्रगतिशील किसान संतराम आर्य ने पिछले साल से नेट हाउस में सीडलेस खीरे की खेती शुरू की है। वो बताते हैं कि पूसा से मैं पूसा-6 बीज लेकर आया था, बहुत अच्छा उत्पादन मिल रहा है और पौधे भी अच्छे से विकसित हुए हैं। सबसे अच्छी बात है कि वहां का बीज सस्ता है।

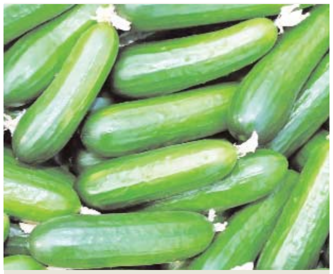

45 दिन में फल

इसके फल बोवनी के 40-45 दिन बाद (बेमौसमी, नवंबर-मार्च) सर्दियों के मौसम में कम लागत वाले पॉलीहाउस में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। औसत फल का वजन 105 ग्राम है। प्रस्तावित किस्म को व्यावसायिक रूप से उगाया जा सकता है और लाइसेंसधारी/ स्वदेशी बीज उद्योगों द्वारा मूल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।

अगेती उन्नत प्रजाति

100 वर्ग मीटर के संरक्षित खेती में इससे 12-15 कुंतल खीरे का उत्पादन हो जाता है या तो इसमें खीरे के एक पौधे से 4-5 किलो तक खीरा मिल जाता है। औसत फल की लंबाई, चौड़ाई और वजन क्रमशः 14.24 सेमी, 3.45 सेमी और 105 ग्राम होता है। पूसा पार्थेनोकार्पिक खीरा-6 उत्तर भारतीय मैदानों के लिए संरक्षित स्थिति में खेती के लिए उपयुक्त पार्थेनोकार्पिक गाइनोइसियस खीरा की पहली अतिरिक्त अगेती उन्नत प्रजाति है। कम लागत वाले पॉलीहाउस के तहत सर्दियों के मौसम के दौरान इसकी औसत फल उपज 126.0 टन/हेक्टेयर है।

उत्कृष्ट कार्य के लिए 5 लाख और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित

मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को मिला राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार

-विश्व मत्स्य दिवसः मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला-किसान का पुरस्कार

भोपाल। जागत गांव हमार

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद द्वारा मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को एक हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के बांधो, नदियों और तालाब में मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन और उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी के लिए महासंघ के कार्यों और नवाचारों की प्रशंसा की है और इसके साथ ही उत्कृष्ट श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ को विशेष कार्य और उपलब्धियों पर श्रेणी में विशेष उत्कृष्ट दमन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में केंद्रीय सचिव मत्स्य विभाग मप्र मत्स्य महासंघ के एमडी पुरुषोत्तम धीमान और मंत्री के ओएसडी जीवन रजक को 5 लाख के पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। मंत्री सिलावट ने इस विशेष उपलब्धि के लिए मत्स्य महासंघ की सभी मछुआ सोसाइटी और मछुआरों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग द्वारा लगातार बेहतर काम किया जा रहा है। इसके लिए मछुआ सोसाइटी से लगातार संवाद करने के साथ ही मछुआ परिवारों की मदद के लिए अनेक कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। विगत तीन वर्षों में विपरीत परिस्थितियों में भी विभाग के द्वारा अच्छा काम किया गया है।

मीनाक्षी से मिल रही मदद

मछुआ समितियों के सदस्यों के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ दिया गया है। इसके साथ ही मछुआ समाज के लोगों के मदद के लिए जाल, नाव, बीमारी में सहायता, स्वास्थ शिविर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक मदद, बालिकाओं के विवाह के लिए मीनाक्षी योजना में आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही हैं। महासंघ के एमडी धीमान ने बताया की मत्स्य महासंघ द्वारा अपने व्यवसाय से अर्जित अपने शुद्ध लाभ का लगभग 50 प्रतिशत भाग मछुओं के कल्याणार्थ व्यय किया जाता है।

40 हजार तक का कर्ज

मछुओं को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिना ब्याज / कम ब्याज दर पर ऋण दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार की मंशानुरूप किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मत्स्य महासंघ के मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 40,000 रुपए की ऋण सीमा तक राशि उपलब्ध कराने का विशेष प्रदान किया गया है।

अर्ध सरकारी पुरस्कार एमपी फिशरीज फेडरेशन

इस बार भी कई राज्यों और उनके जिलों को मछली पालन के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए हैं। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद ने तीन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों को चुना है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय प्रदेश का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है। जबकि सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार कर्नाटक को मिला है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य का पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय और समुद्री अर्ध सरकारी संगठन/महासंघ/निगम/बोर्ड का पुरस्कार एमपी फिशरीज फेडरेशन, भोपाल, और केरल स्टेट कॉपरेटिव फेडरेशन फॉर फिशरीज डेवलपमेंट, केरल को मिल रहा है। मछली पालन में सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिले का पुरस्कार तमिलनाडु के थंजावुर को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का पुरस्कार आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और उत्तर पूर्वी जिले का अवार्ड असम के उदलगुरी जिले को मिला है।

उद्यानिकी विभाग ने जिलावार जारी किए लक्ष्य

पान की खेती के लिए सरकार दे रही अनुदान

भोपाल। जागत गांव हमार

पान की खेती की लागत अधिक होती है, इसलिए सभी किसान पान की खेती नहीं कर सकते हैं। ऐसे में देश में पान के पत्तों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है, ताकि किसान पान की खेती के लिए आवश्यक निवेश कर सकें। इसके लिए पान की खेती के लिए अनुकूल विभिन्न जिलों का चयन किया गया है। जहां किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरकेवीवाय के तहत अनुदान दिया जाता है। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने राज्य के चयनित जिलों के किसानों को योजना का लाभ देने के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इच्छुक किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध उच्च तकनीक से पान खेती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद चयनित किसानों को पान की खेती करने के लिए सरकार की ओर से अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने अभी राज्य में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उच्च तकनीक से पान की खेती परियोजना वर्ष 2022-23 के लिए 5 जिलों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं, जिसमें, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी और सागर शामिल है। जारी लक्ष्य के विरुद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

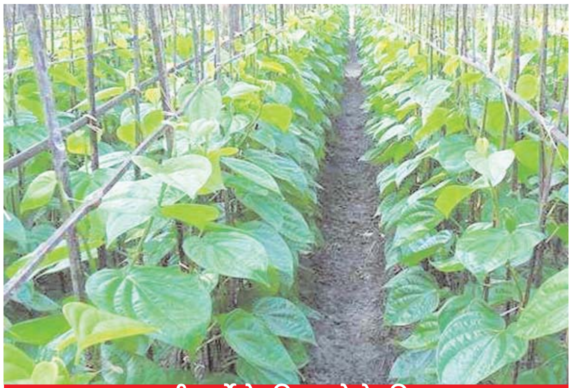

सभी वर्गों के किसानों के लिए

पान की खेती के लिए उद्यानिकी विभाग ने सभी वर्गों के किसानों के लिए कुल 512 इकाई का लक्ष्य जारी किया है। जिसके लिए 132.608 लाख रुपए अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 328, अनुसूचित जाति के लिए 82 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 102 इकाई का लक्ष्य जारी किया गया है।

लागत राशि पर 35 प्रतिशत का अनुदान

पान की खेती के लिए उद्यानिकी विभाग किसानों को अनुदान उपलब्ध करा रही है। कृषक को 500 वर्ग मीटर में पान बरेजा की स्थापना के लिए बांस का उपयोग करने पर इकाई लागत राशि पर 35 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। जिसके लिए विभाग ने इकाई लागत 74,000 रुपए निश्चित की है, जिस पर 35 प्रतिशत अधिकतम राशि 25,900 रुपए दी जाएगी। पूर्व के लाभान्वित कृषक/सिकमी कृषक को योजना अंतर्गत पुनः लाभ देय नहीं होगा।

कहां करें आवेदन | पान उत्पादन के लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मप्र के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। अत: किसान यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मप्र पर देख सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने ब्लॉक या जिले के उद्यानिकी विभाग में भी सम्पर्क कर सकते हैं। मप्र में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मप्र फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं।

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत मिलेगा लाभ

मसाला फसलों की खेती मप्र में मिल रहा 50 प्रतिशत तक अनुदान

भोपाल। कृषि क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों के चौमुखी विकास के लिए सरकार परम्परागत फसलों के अलावा बागवानी फसलों जैसे फल-फूल, सब्जी, औषधीय एवं मसाला फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसके तहत किसानों को इन फसलों की खेती करने के लिए अनुदान दिया जाता है। इस कड़ी में मप्र उद्यानिकी विभाग मसाला फसलों की खेती के लिए किसानों को अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार बीज वाली मसाला फसलें एवं कंद/प्रकंद वाली हल्दी एवं अदरक आदि मसाला फसलों के गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के माध्यम से चुनिंदा मसाला फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से मसाला क्षेत्र विस्तार योजना चला रही है। उद्यानिकी विभाग ने योजना के तहत बीज वाली मसाला फसलों पर अनुदान हेतु चयनित जिलों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मसाला क्षेत्र विस्तार योजना राज्य के तहत बीज वाली मसाला फसलों में बीज एवं प्लास्टिक क्रेट्स की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सामान्य वर्ग के किसानों को, वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान 14,000 रुपए प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो दिया जाएगा।

इन जिलों के किसान करें आवेदन

उद्यानिकी विभाग ने अभी मसाला क्षेत्र विस्तार योजना राज्य के तहत 15 जिलों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। यह जिले इस प्रकार हैं-ग्वालियर, निवाड़ी, शहडोल, अनुपपुर, शिवपुरी, भिंडी, मुरैना, श्योपुर, कटनी बालाघाट, सिवनी, उमरिया, गुना, झाबुआ, अलीराजपुर शामिल हैं। जारी लक्ष्य के विरुद्ध किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

15 जिलों के लिए लक्ष्य

उद्यानिकी विभाग ने अभी 15 जिलों के लिए कुल 176.24 हेक्टेयर के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। जिस पर 24.674 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए भौतिक लक्ष्य 124.5 हेक्टेयर है जिस पर अनुदान 17.43 लाख रुपए है। अनुसूचित जाति के लिए भौतिक लक्ष्य 51.74 हेक्टेयर है। इस पर 7.244 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

-किसानों को मिलेगा 175 लाख रुपए अनुदान

प्याज भंडार गृह बनाने सरकार दे रही 50 फीसदी सब्सिडी

भोपाल। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने, प्याज की वर्ष भर उपलब्धता, मूल्य स्थिर रखने, सड़ने-गलने से बचाने और उत्पादन के बाद प्याज का भाव घटने पर कृषकों को होने वाली हानि से बचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्याज भंडार गृह निर्माण योजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत इस वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 10 जिलों में 50 मीट्रिक टन क्षमता के 100 प्याज भंडार गृह निर्माण के लिए 175 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक प्याज भंडार गृह निर्माण के लिए 50 फीसदी अनुदान मिलेगा। इसके लिए संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, द्वारा भौतिक-वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन किया गया है।

दस जिलों का लक्ष्य जारी

आवंटन के अनुसार इस परियोजना में मप्र के 10 जिलों देवास, इंदौर, उज्जैन, रीवा, शाजापुर, सागर, धार, खंडवा, राजगढ़ और सतना को शामिल किया गया है। सामान्य, अजजा और अजा वर्ग के लिए 100 भंडार गृह के भौतिक लक्ष्य जारी किए गए हैं। वितीय लक्ष्यों में सामान्य वर्ग के लिए कुल 122.50 लाख, अजजा वर्ग के लिए 35 लाख और अजा वर्ग के लिए 17.50 लाख कुल 175 लाख रुपए का आवंटन किया गया है।

हेल्प डेस्क पर करें सम्पर्क

इस योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित जिलों के कृषक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लाभ देने के लिए कृषक का चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी की तिथि विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने पर उसकी सूचना पृथक से जारी की जाएगी। कोई समस्या उत्पन्न होने पर हेल्प डेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं।

-ई-कॉमर्स वेबाइट्स को बेचने की मंजूरी

कीटनाशकों की अब होगी होम डिलीवरी

भोपाल/नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कीटनाशक नियमों में बदलाव किया है। अब किसानों को कीटनाशक की खरीदारी करने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उन्हें घर पर ही डिलीवरी मिल जाएगी।

केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स वेबाइट्स के जरिए कीटनाशक बेचने को कानूनी तौर पर मंजूरी दे दी है। अब कंपनियां कानूनी तौर पर कीटनाशक बेच सकेंगी। खास बात यह है कि अभी अमेजान और फिल्पकार्ट को ही कीटनाशक कानूनी तौर पर बेचने की हरी झंडी मिली है। कीटनाशक बेचने वाली कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। साथ ही कंपनियों को लाइसेंस के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। लाइसेंस वेरीफाई करने की जिम्मेदारी ई-कॉमर्स कंपनी की होगी। केंद्र सरकार का यह निर्णय किसानों के हित में है। अब उन्हें कीटनाशक खरीदने के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा। साथ ही आने वाले दिनों में इस नियम की वजह से किसानों के लिए कीटनाशक और सस्ता जा जाएगा। इसके अलावा कीटनाशक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

फसल बर्बाद होने पर मुआवजा

कीटों के हमले से फसलों की बहुत ही बर्बादी होती है। बहुत से ऐसे भी कीट हैं, जो झुंड में हमला करते हैं और कुछ ही घंटों में पूरी फसल की पत्तियों को चट कर जाते हैं। इससे फसल बर्बाद हो जाती है। एक आंकड़े के अनुसार, भारत में हर साल हजारों हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल कीटों की वजह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि, सरकार ऐसी स्थिति में किसानों की मददर करने के लिए मुआवजे का ऐलान भी करती है।

-समय पर पहुंचेगा सामान, नहीं होगा नुकसान

उड़ान किसानों के लिए मुफ्त में ट्रांसपोर्ट की हवाई सुविधा

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर योजनाएं चला रही है। किसानों की सब्जी, फल डेयरी उत्पादों का बाजारों में जल्द से जल्द पहुंचना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए किसानों को रेल गाड़ी की सुविधा भी दी गई है। जिसके माध्यम से किसान जल्द से जल्द अपने खराब होने वाले उत्पादों को बाजार तक पहुंचा सकते हैं। इसी को देखते हुए अब किसानों के लिए ट्रांसपोर्ट की हवाई यात्रा चलाई गई है। योजना का नाम है किसान उड़ान योजना। जिससे किसान अपने देश के साथ-साथ विदेशों में भी अपने उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं। खास बात यह कि इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसान उड़ान योजना किसान रेल योजना की तरह ही है।

विदेश पहुंच जाता है उत्पाद

पीएम किसान उड़ान योजना किसानों के हित में चलाई जा रही एक योजना है, जिसके तहत किसानों के उत्पाद जैसे- सब्जी, फल, फूल, डेयरी उत्पाद जिनकी अवधि कम होती है, उन्हें हवाई यात्रा के जरिए आसानी से देश के साथ- साथ विदेशों में भेजा जाता है। जिससे किसानों को सही मूल्य भी प्राप्त होता है और किसानों का उत्पाद वक्त पर देश के साथ-साथ विदेशों में पहुंच जाता है।

कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा

सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि उड़ान योजना के तहत एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस योजना में आवेदन करने से किसानों को टर्मिनल नैविगेशन, लैंडिंग चार्जेज, पार्किंग आदि में छूट दी जाती है।

अभी 53 एयर पोर्ट्स को जोड़ा

साल 2020 में यह योजना लागू की गई थी। जिसमें अभी तक कुल 53 से अधिक एयरपोर्ट्स को जोड़ा जा चुका है। खास बात यह है कि इन योजना में उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों व आदिवासी क्षेत्रों के किसानों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि इन जगहों पर सड़क मार्ग काफी मुश्किल तथा दूर होता है और आसपास रेल यातायात की सुविधा भी नहीं होती है, जिससे सामान मंडी में पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है, जिसके लिए चंद घंटों में इस योजना के तहत सामान ग्राहकों तक पहुंच सकता है।

टुकना-सूपा के कारोबार पर लग जाएगा ग्रहण

बालाघाट के जंगल से होने लगा बांस का सफाया

बालाघाट। जागत गांव हमार

जिले के बिरसा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली अडोरी पंचायत का नक्सल प्रभावित गांव कट्टरटोला सुदूर वनांचल क्षेत्र में बसा है। जहां के वांशिदे बांस से टुकना-सूपा बनाने का काम करते हैं। उसे बाजारों या व्यापारियों को खड़ी कीमत में बेचकर उसी से अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन उनकी जीविका का साधन बने टुकना सूपा के कारोबार पर जल्द ग्रहण लगने वाला है। क्योंकि अब कट्टरटोला के आदिवासीयों को दूर-दूर तक जंगलों की खाक छानने के बाद भी बांस नहीं मिल पा रहा है।

ऐसे में इस व्यवसाय के चौपट होने की संभावना बढ़ती जा रही है। हाल ही में हमारी टीम ने ग्राम कट्टरटोला का दौरा करके वहां के ग्रामीणों से उनकी जीवीकोपार्जन और रोजगार संबधित जानकारीयां लीं। जहां हमें ग्राम कट्टरटोला निवासी जंगलसिंह ने बताया कि उनका परिवार पीढ़ियों से बांस को छीलकर टुकना और सूपा बनाने का काम करते आ रहा हैं और यही उनका रोजगार है। इसी से उनके परिवार का भरण पोषण होता है। परंतु वर्तमान समय में टुकना-सूपा बनाने का काम अब सिमटते जा रहा है। क्योंकि टुकना-सूपा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला बांस एक विशेष प्रजाति के बांस की आवश्यता होती है, जो मुलायम होता है, जिसे आसानी से छीला जाता है। परंतु उक्त बांस अब जंगलों में मिलना मुश्किल हो गया है। इस गांव के लोग उस प्रजाति के बांस की तलाश में दूर तक निकल जाते हैं, परंतु उन्हें बांस नहीं मिल पाता। ऐसे में मप्र के बालाघाट जिले के आदिवासी अंचलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग अब हर मोर्चे पर चुनौती का सामना कर रहे हैं।

आधुनिकता ने छीनी रोजी

आधुनिक होते बाजारों में भी पारंपरिक चीजों पर भी ग्रहण लगा दिया है। कभी घरों के, खेतों के और रसोइयों का अहम हिस्सा रहे बांस के सामान अब पूजा-पाठ तक सिमटने लगे हैं। बांस से बनी टुकनी और सूपा का मूल्य जहां 100 से 150 रुपए आदिवासियों ने निर्धारित रखा गया तो उसकी प्लास्टिक के टप और सूपा 90 रुपए 120 रुपए तक मिल जा रहे है।

-कम लागत में उगने के बावजूद अच्छा उत्पादन

दिसंबर महीने में करें इन सब्जियों की खेती तो होगा अच्छा मुनाफा

भोपाल। जागत गांव हमार

वैसे तो कृषि तकनीकों को आज ऑफ सीजन में भी खेती करना आसान हो गया है, लेकिन प्राकृतिक वातावरण उगने वाली सब्जियों की बात ही कुछ और होती है। इन दिनों हवा में सर्दी बढ़ती जा रही है। ये समय लगभग हर तरह की सब्जी को उगाने के लिए अनुकूल रहता है। अगर किसान कुछ खास बातों का ध्यान रखकर सीजनल सब्जियों की खेती करें तो अच्छी उत्पादकता के साथ-साथ उत्पादन भी हासिल कर सकते हैं, इसलिए आज हम आपको दिसंबर के महीने में बोई जाने वाली सब्जियों की जानकारी देंगे जो आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा देंगी। इन सब्जियों की सबसे खास बात ये है कि अगले 3 से 4 महीने डिमांड में रहती हैं। कम लागत में उगने के बावजूद अच्छा उत्पादन मिल जाता है और मंडियों में भी हाथोंहाथ बिक जाती हैं। गाजर-मूली की बुवाई अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने तक चलती है। ये दोनों ही फसलें सर्द जलवायु में बढ़ती हैं। अच्छी क्वालिटी की पैदावार के लिए जीवांशयुक्त दोमट या बलुई मिट्टी में बुवाई करें। मूली की उन्नत किस्मों में जापानी सफेद, पूसा देशी, पूसा चेतकी, अर्का निशांत, जौनपुरी, बॉम्बे रेड, पूसा रेशमी, पंजाब अगेती, पंजाब सफेद, आईएचआर1-1 एवं कल्याणपुर सफेद शामिल हैं। वहीं गाजर की चैंटनी, नैनटिस, चयन नं- 223, पूसा रुधिर, पूसा मेघाली, पूसा जमदग्नि, पूसा केसर, हिसार रसीली और गाजर 29 भी सबसे उत्तम रहती हैं।

सरसों-मेथी धनिया की खेती

फरवरी-मार्च तक बाजार में पालक, मेथी, धनिया और सरसों की मांग रहती है। इन सब्जियों को सर्दियों के मौसम में ही उगाया जाता है। पालक की पंजाब ग्रीन और पंजाब सलेक्शन सबसे उन्नत किस्में हैं, जो अधिक पैदावार देती हैं। इनके अलावा, पूजा ज्योति, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा भारती भी कम लागत में क्वालिटी उत्पादन दे जाती हैं। सरसों साग की पूसा विजय, पूसा सरसों-29, पूसा सरसों-30, पूसा सरसों-31 किस्मों से अच्छे पत्तों का उत्पादन मिलता है।

उन्नत किस्में| मेथी की हिसार मुक्ता, मृदूरोमिल, लाम सिलेक्शन, पूसा अर्ली बंचिंग, यूएम 112, कश्मीरी, हिसार सुवर्णा से बोवनी कर सकते हैं। धनिया की हिसार सुगंध, पंत हरितमा, कुंभराज, आरसीआर 41,आरसीआर 435, आरसीआर 436, आरसीआर 446, आरसीआर 480, आरसीआर 684, आरसीआर 728, सिम्पोएस 33, जेडी-1, एसीआर 1, सीएस 6, जीसी 2 (गुजरात धनिया 2) भी उन्नत किस्में हैं।

बैंगन की खेती के लिए अनुकूल वातावरण | बैंगन की खेती के लिए सर्द वातावरण ही सबसे उत्तम रहता है। इसकी पूसा पर्पल राउंड, पूसा हाइब्रिड-6, पूसा अनमोल और पूसा पर्पल लोंग किस्मों की बुवाई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इन किस्मों से बोवनी के लिए 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीजों से बोवनी की जाती है, जिसके बाद खेतों से 400 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन ले सकते हैं।

गोभी की खेती फायदेमंद| सर्दियों में गोभी वर्गीय सब्जियां जैसे- फूलगोभी, पत्तागोभी और ब्रोकली की खेती करना ज्यादा आसान होता है। इन दिनों मिट्टी में नमी और वातावरण में सर्दी होती है, जो नेचुरल प्रोडक्शन लेने में मदद करती है। गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के लिए जल निकासी वाली हल्की मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। चाहें तो ग्रीन हाउस में भी गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती कर सकते हैं।

प्राकृतिक खेती के लिए गौमूत्र एकत्रित कर रहीं महिलाएं

पन्ना। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास भले ही अभी तक जमी पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सामाजिक संगठनों के सहयोग से रहुनियां, पलथरा और बिलहा सहित आसपास के गांव के किसानों ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। गांवों के दो दर्जन से भी अधिक किसान घरों में ही जैविक खाद तैयार करने के बाद कीटनाशक भी तैयार कर रहे हैं। जिसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में गौ मूत्र की जरूरत पड़ रही है। इसी को देखते हुए सामाजिक संस्था के समझाइश और प्रोत्साहन पर किसानों ने गौ मूत्र का संग्रह भी शुरू कर दिया है। जिन किसानों के घरों में मवेशी नहीं हैं उन्हें नाम मात्र की कीमत पर गांव के लोग ही अब गौमूत्र उपलब्ध कराएंगे।

गौ मूत्र संग्रहण शुरू

ग्राम बिलहा की राजाबाई पटेल, बिलख्रा की कीर्तन देवी और पुष्पा पटेल ने बताया हम लोगों को घरों में ही जैविक कीटनाशक तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया था। जिससे 25-30 किसान गांव में ही कीटनाशक तैयार कर रहे हैं। जैविक कीटनाशक तैयार करने में सबसे अधिक गौमूत्र का ही उपयोग होता है। इसलिए जिन किसानों के घरों में मवेशी नहीं हैं, उन्हें गौमूत्र देने के लिए गांव के लोगों ने समर्थन संस्था की समझाइश के बाद गौ मूत्र का संग्रह भी करना शुरू कर दिया है।

आय का बड़ा साधन

तीन-चार दिनों में ही किसानों ने डेढ़ सौ लीटर गौमूत्र एकत्रित कर लिया है। जिन किसानों को इसकी जरूरत है, उन्हें नाम मात्र की कीमत पर गौमूत्र दिया जा रहा है। इससे किसानों को घरों में ही जैविक खाद तैयार करने में परेशानी नहीं होगी। साथ ही किसानों को अतिरिक्त आय का एक बड़ा साधन मिल जाएगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने ली बैठक

बागवानी कलस्टर विकास से किसानों को होगा फायदा

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) तैयार किया है, जिसके समुचित क्रियान्वयन के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने वर्चुअल भाग लिया। बैठक में तोमर ने अधिकारियों से कहा कि देश में बागवानी के समग्र विकास पर कलस्टर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मदद से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बात पर जोर दिया जाएगा कि किसान इस कार्यक्रम से लाभान्वित हों। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों को भी उनकी केंद्रित/मुख्य फसल के साथ चिन्हित किए गए 55 कलस्टरों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

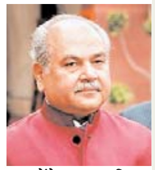

जियो टैगिंग की जरूरत

राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि कार्यक्रम के तहत छोटे व सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने, खेतों में लागू की जाने वाली गतिविधियों का पता लगाने, निगरानी उद्देश्य के लिए बुनियादी ढांचे की जियो टैगिंग आदि की जरूरत है।

क्लस्टर-विशिष्ट ब्रांड बनाएं

क्लस्टर विकास कार्यक्रम में बागवानी उत्पादों की कुशल और समय पर निकासी तथा परिवहन के लिए मल्टीमॉडल परिवहन के उपयोग के साथ समग्र बागवानी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने की एक बड़ी क्षमता है। सीडीपी से 10 लाख किसानों और मूल्य श्रृंखला के संबंधित हितधारकों को लाभ होगा। सीडीपी का लक्ष्य लक्षित फसलों के निर्यातों में लगभग 20 फीसदी का सुधार करना तथा क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए क्लस्टर-विशिष्ट ब्रांड बनाना है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)